



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-94/2019 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अंशुमान सिंह उर्फ विक्रम सिंह उर्फ बच्चा सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी उजनेड़ी थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी प्रवीण कुमार
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 दिलीप कुमार
यादव



पैरोकार
थाना- ललपुरा
का0 मुकेश राजपूत